

अध्याय सारांश

वर्ष 2005-06 में प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहणों का 61.30 प्रतिशत निगम कर से बना। 31 मार्च 2006 को 3.93 लाख निर्धारिति थे जो पिछले वर्ष से 3.42 प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा हैं।

(पैरा 3.1 और 3.2)

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं, चूकों और गलतियों का उल्लेख करते हुए टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को 665 अभ्युक्तियाँ जारी की जिसमें 1910.31 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। मंत्रालय ने 248 अभ्युक्तियाँ स्वीकार की जिसमें इस प्रतिवेदन के तैयार होने तक 307.17 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 3.4 और 3.8)

निर्धारितियों ने 142 मामलों में संक्षिप्त निर्धारणों में अनधिकृत अभिलाभ लिया जिसमें 92.06 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 3. 32.2)

निर्धारण अधिकारियों ने निम्नलिखित गलतियाँ कीं:

◆ 70 मामले जिसमें 123.60 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था में सही आँकड़ों का अपनाया जाना, कर की सही दर का लागू करना और अधिभार का उद्घरण।

(पैरा 3.9.1 और 3.10.3)

◆ 45 मामले जिसमें 367.78 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था में कारबार आय की संगणना।

(पैरा 3.11.4)

◆ 149 मामले जिसमें 476.73 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था में अनधिकृत व्यय अथवा प्रावधान, देयता एवं दावों और मूल्यहास अनुमत करने में।

(पैरा 3.12.4, 3.13.3, 3.14.8 और 3.15.4)

◆ 43 मामले जिसमें 441.98 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था में पूँजीगत अभिलाभ की संगणना, हानियों का अग्रेनयन और समंजन।

(पैरा 3.16.2 और 3.17.4)

◆ 91 मामले जिसमें 123.95 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था में अपीलीय आदेशों को लागू करने में, अध्याय VI के अन्तर्गत राहते और छूटों को अनुमत करने में और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना में।
(पैरा 3.18.1, 3.19.1, 3.20.2, 3.21.3, 3.22.3, 3.23.3, 3.24.3 और 3.25.2)

◆ 56 मामले जिसमें 42.15 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था में ब्याज का उद्घाटन

(पैरा 3.28.1 और 3.29.2)

अध्याय III: निगम कर

**कम्पनी
निर्धारितियों
की तुलना में
कम्पनियों
की संख्या**

3.1 वित्त मंत्रालय कम्पनी मामले विभाग के अभिलेखों के अनुसार 30 नवम्बर 2005 को शेयरों द्वारा लिमिटेड 7,12,435 व्यस्त कम्पनियां थीं जिनमें 6,33,089 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां तथा 79,346 सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां थीं। तथापि आयकर विभाग के अभिलेखों के अनुसार कम्पनी निर्धारितियों की संख्या 31 मार्च 2005 को 3,79,752 की तुलना में 31 मार्च 2006 को 3,92,573 थीं।

**निगम कर
से प्राप्तियां**

3.2 निगम कर प्रातियाँ 2004-05 में 82,680 करोड़ रुपये के प्रति 2005-2006 के दौरान 1,01,277 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 61.30 प्रतिशत बनती है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका 2.4 में व्यौरा दिया गया है।

**निर्धारणों की
प्राप्तियां**

3.3 निपटान के लिए नियत निर्धारणों, पूरे किए गए निर्धारणों और लम्बित निर्धारणों के ब्यौरे इस प्रतिवेदन की तालिका 2.11 (परिशिष्ट 5) में दिए गए हैं।

**लेखापरीक्षा
के परिणाम**

3.4 लेखापरीक्षा ने मई 2006 और अक्टूबर 2006 के मध्य वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए 653 ड्राफ्ट पैराग्राफ जिसमें 1893.21 करोड़ रुपये के कर का अवप्रभार अन्तर्गत था और 12 ड्राफ्ट पैराग्राफ जिसमें 17.10 करोड़ रुपये के कर का अतिप्रभार अन्तर्गत था, जारी किये।

3.5 वित्त मंत्रालय को जारी किये गये 665 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने 48 मामले देखे थे जिनमें गलतियों का पता नहीं चल सका था। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने 616 मामले बिल्कुल नहीं देखे थे।

3.6 वित्त मंत्रालय को जारी किये गये 665 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 620 जिसमें 1697.76 करोड़ रुपये का अवप्रभार अन्तर्गत था और 12 मामले जिसमें 17.10 करोड़ रुपये का अतिप्रभार अन्तर्गत था को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

3.7 प्रत्येक पैराग्राफ गलतियों की विशेष श्रेणी को दर्शाता है और समान स्वरूप की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव के बाद उपयुक्त प्रस्तावना से आरम्भ होता है। प्रत्येक 10 करोड़ रुपये से अधिक के धन मूल्य वाले मामलों को सोदाहरण दिया गया है जबकि एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम के प्रत्येक मामले परिशिष्टों में तालिका के रूप में दिये गये हैं।

**वित्त मंत्रालय
से प्राप्त हुए
उत्तरों की
प्राप्तियां**

3.8 इस अध्याय में शामिल 632 मामलों में से वित्त मंत्रालय ने 248 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं जिसमें कुल 307.17 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था। 102 मामलों के संबंध में जिसमें 81.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था, अभ्युक्तियाँ स्वीकार नहीं की गई हैं। शेष मामलों में, मंत्रालय का

उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय के उत्तर की जाँच कर ली गई है और जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

**सही आँकड़ों/
गणितीय
त्रुटियों/अन्य
परिहार
गलतियों के
अपनाने में
गलतियाँ**

3.9 निर्धारण अधिकारियों को "संवीक्षा" निर्धारणों में आय का सही प्रकार से अवधारण और निर्धारण करना होता है। लेखे, दावे, अभिलेख तथा सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में जांच की जानी होती है। बोर्ड ने निर्धारण अधिकारियों और उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये कि निर्धारणों में गलतियाँ न हों।

3.9.1 लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि निर्धारण अधिकारियों ने गलत आँकड़े अपनाये, गणितीय त्रुटियाँ की, दो बार दावे अनुमत किये और आय में अस्वीकार्य दावों को पुनः नहीं जोड़ा गया और इस प्रकार दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 65 मामलों में 123.08 करोड़ रुपये तक कर कम उद्ग्रहीत हुआ। 17 मामले जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था को परिशिष्ट 7 में क्रम संख्या 1 से 17 पर दिखाया गया है। चार मामले जिसमें प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से अधिक का कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

3.9.2 तमिलनाडु, चेन्नई I प्रभार निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स इण्डियन ओवरसीज बैंक का निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत "शून्य" आय और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत 180.40 करोड़ रुपये पर अवधारण करते हुए मार्च 2003 में संक्षिप्त रीति में प्रक्रियागत किया गया था और 1.72 करोड़ रुपये के प्रतिदाय पर ब्याज सहित 22.98 करोड़ रुपये का प्रतिदाय दिया गया था। तदनन्तर, निर्धारण 317.16 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था और 109.82 करोड़ रुपये के लिए माँग उद्भूत की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 109.82 करोड़ रुपये की माँग की संगणना करते समय मार्च 2003 में पहले प्रदान किये गये 22.98 करोड़ रुपये के प्रतिदाय को कुल माँग में पुनः नहीं जोड़ा गया था। गलती के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिदाय पर ब्याज सहित 23.90 करोड़ रुपये तक कर की कम संगणना हुई।

3.9.3 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

3.9.4 दिल्ली I प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक कम्पनी मैसर्स ऐयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का निर्धारण सितम्बर 2002 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारण को धारा 250/143(3) के अन्तर्गत सितम्बर 2004 में संशोधित किया गया था और 394.80 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए धारा 148/143(3) के अन्तर्गत मार्च 2005 में पुनः निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि गणितीय त्रुटि के कारण, निर्धारण अधिकारी ने 13.82 करोड़ रुपये की सही राशि

के बजाय 2.76 करोड़ रुपये का अधिभार उद्ग्रहीत किया। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 14.67 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.9.5 दिल्ली V प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक कम्पनी मैसर्स आर पी जी पेंगिंग सर्विसेस लिमिटेड का निर्धारण 33.18 करोड़ रुपये की हानि का अवधारण करते हुए मार्च 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत संगणना शीट के अनुसार वर्ष के लिए आय 44.43 लाख रुपये की अग्रेनीत हानियों का समायोजन करने के पश्चात् "शून्य" पर निर्धारण किया गया था। तथापि, निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने गलती से 33.18 करोड़ रुपये की हानि का निर्धारण किया। गलती के परिणामस्वरूप 33.18 करोड़ रुपये तक हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें 13.12 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

3.9.6 राजस्थान, जयपुर II प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निर्धारण लाभ की सीमा तक अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के पश्चात् "शून्य" आय का अवधारण करते हुए सितम्बर 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संवीक्षा के दौरान निर्धारण अधिकारी ने ई पी एफ, सी पी एफ और जी पी एफ, पूर्व अवधि खर्चों, पट्टा किराया और निर्धारिती की आय के लिए प्रति कुल 55.75 करोड़ रुपये कर्ज पर ब्याज भुगतान के कारण कतिपय परिवर्धन किये। तथापि, कुल आय की संगणना करते समय उसने मात्र 25.75 करोड़ रुपये की राशि को जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप 30 करोड़ रुपये तक आय की कम संगणना हुई जिसमें 10.71 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

3.9.7 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

कर और
अधिभार
की गलत
दर

3.10 आय कर सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती की पिछली आय की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है।

3.10.1 जहाँ विदेशी कम्पनी की कुल आय में विदेशी मुद्रा में एक भारतीय संस्था से प्राप्त ब्याज के रूप में किसी आय को शामिल किया जाता है वहाँ यह 20 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।

3.10.2 अधिनियम की धारा 113 के अनुसार कम्पनी के मामले में संगणित आय कर निर्धारित प्रतिशतता की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जायेगा।

3.10.3 लेखापरीक्षा ने गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पाँच मामलों में कर और अधिभार का कम उद्ग्रहण सूचित किया जिसमें 52.49 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

कारबार
आय की
संगणना
में गलती

3.11 किसी व्यक्ति की किसी पूर्व वर्ष की कुल आय में ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न आय जो प्राप्त हुई मानी गई या उपचित या उद्भूत होती है, शामिल होती है जबतक कि यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों के द्वारा कर से विशिष्ट रूप से मुक्त न हो।

3.11.1 बीमा के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना प्रथम अनुसूची में समाविष्ट नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रथम अनुसूची के नियम 5 के अनुसार जीवन बीमा के अलावा बीमा के लाभों और अभिलाभों में अस्वीकार्य व्यय को दोबारा जोड़ने के पश्चात् बीमा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में प्रकटित आय लाभों के होने वाले शेष को लिया जायेगा। आर बी आई अधिनियम की धारा 45 आई (सी) (ii) के अन्तर्गत, वित्तीय संस्थान की परिभाषा में बीमा कारबार की किसी श्रेणी को और शेयरों, प्रतिभूतियों आदि से संबंधित वित्तीय कार्यकलापों को करने वाले किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान को शामिल किया जाता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 4 ए में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में किसी सार्वजनिक कम्पनी की घोषणा के लिए प्रावधान किया गया है।

3.11.2 शीर्ष "कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों" के अन्तर्गत आय निर्धारिती द्वारा अपनाई गई नियमित लेखाकरण विधि के अनुसार संगणित की जाती है। जहाँ निर्धारिती लेखाकरण की व्यापारिक प्रणाली अपनाता है, वहाँ लाभों और अभिलाभों को प्राप्त या उपचित आधार पर निकाला जाता है। मात्र ऐसे खर्च पूर्व वर्ष की आय से कटौती के रूप में अनुज्ञेय है जो उस वर्ष से सुसंगत है।

3.11.3 किसी निर्धारिती की आय अवधारित करने के प्रयोजन के लिए माल और मालसूची की खरीद और बिक्री का मूल्यांकन निर्धारिती द्वारा अपनाई गई नियमित लेखाकरण विधि के अनुसार किया जाएगा और मूल्यांकन की तारीख को इसकी अवस्थिति और स्थिति के स्थान तक माल को लाने के लिए निर्धारिती द्वारा वास्तविक प्रदत्त या खर्च किए गए किसी कर शुल्क, उपकर या फीस की राशि को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

3.11.4 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आंध्रप्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमில்நாடு, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 45 मामलों में कुल 367.68 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आठ मामले जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था को परिशिष्ट 8 में क्रम संख्या 1 से 8 पर दिखाया गया है। दो मामले जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

3.11.5 तमिलनाडु चेन्नई I प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए गैर-जीवन बीमा कम्पनी, मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, प्रभारों में छ: अन्य गैर जीवन बीमा कम्पनियों (मैसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेंश कम्पनी, नई दिल्ली, मैसर्स नेशनल इन्श्योरेंश कम्पनी, कोलकाता, मैसर्स एच डी एफ सी सी एच यू बी बी जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, मैसर्स बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंश कम्पनी, मुम्बई, मैसर्स रिलायन्स जनरल इश्योरेंस, मुम्बई, मैसर्स आई सी आई सी आई लोम्बार्ड मुम्बई) का आय कर निर्धारण 2003 से 2006 के मध्य पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निधारिती कम्पनियाँ कम्पनियों के शेयरों के निवेश/बिक्री की उगाही और ऐसे निवेशों के विमोचन पर लाभ अर्जित कर रही हैं जिन्हें संबंधित निर्धारण वर्षों के लाभ और हानि लेखा में इसे क्रेडिट किये बिना तुलन-पत्र में सामान्य आरक्षित लेखा में सीधे लिया जाता है। यद्यपि, कर्जों और ऋण-पत्रों पर ऐसी कम्पनी द्वारा अर्जित ब्याज कर को प्रभार्य है तथापि निवेश/बिक्री की उगाही और निवेश के विमोचन पर कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ सम्भावयतः निर्धारण से छूट रहा है चूंकि इन्हें निर्धारण वर्ष 1989-90 से प्रभावी आय कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नियम 5 (बी) की चूक के कारण कर योग्य नहीं माना गया है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से इसके अतिरिक्त पता चला कि कर को ऐसे लाभों के दायरे में लाने के संबंध में निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई एक समान पॉलिसी अपनाई नहीं गई थी। कम्पनियों के शेयरों में निवेश की बिक्री के कारण इन कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों/शर्तों जो अन्यथा रूप से ऐसी कम्पनियों को लागू हैं की वजह से कर योग्य हैं।

(i) निधारिती कम्पनियाँ सामान्य कारबार के दौरान बीमा कारबार करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे कम्पनी अधिनियम की धारा 4 ए के अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करती हैं। शेयरों और प्रतिभूतियों में लेन-देन निधारिती कम्पनी का सामान्य कारबार कार्यकलापों में से एक है। ऐसे निवेश की बिक्री पर लाभ इस प्रकार कर को दायी है।

(ii) यदि "लाभों तथा अभिलाभों" का कोई भाग बीमा कारबार के कारण नहीं है तो "लाभों तथा अभिलाभों" को तुलन पत्र के ऐसे भाग को कारण बनाने का कोई वैध कारण नहीं हो सकता है इसलिए यह कर को दायी है।

(iii) कम्पनियां आय स्वीकरण के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 43 डी और अशोध तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) (vii ए) के भी प्रावधानों का लाभ लेने की हकदार है। निधारिती कम्पनियों के कार्य दो भिन्न कार्यकलापों यथा एक बीमा कारबार तथा दूसरा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में विभाजित किए गए हैं। आर बी आई मार्गनिर्देशों के अनुसार किसी वित्तीय संस्थान के गैर बैंकिंग कार्यकलापों से प्राप्त आय आय के रूप में मानी जानी है। इसलिए निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की कारबार आय के रूप में माना जाना चाहिए और न कि इस आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए कि

बीमा कारबार की बीमा कारबार आय निर्धारित करने से संबंधित पहली अनुसूची का नियम 5 (बी) 1 अप्रैल 1988 से संविधि में नहीं है।

iv) निवेशों की बिक्री से उत्पन्न लाभ ऋण पत्रों पर अर्जित ब्याज के समान किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के कार्यकलापों का भाग बनते हैं, और

v) गैर आवश्यक होने के कारण प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश वैध बीमा कारबार के रूप में माने नहीं जा सकते हैं।

3.11.6 लेखापरीक्षा संवीक्षा से इसके अतिरिक्त पता चला कि इन कम्पनियों ने 776.46 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था लेकिन अधिनियम में कमी के कारण और इस संबंध में निर्धारण अधिकारियों द्वारा लिये गये विभिन्न दृष्टिकोण के कारण भी आय सम्भवतया निर्धारण से छूट गई जिसके परिणामस्वरूप 281.51 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

3.11.7 समान अभ्युक्ति को 2006 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 में भी बताया गया था। यदि उपयुक्त उपायों को शीघ्र नहीं किया गया तो इस संबंध में राजस्व हानियों के बढ़ने की संभावना है।

3.11.8 दिल्ली V प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक कम्पनी मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड का निर्धारण 1603.49 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए अप्रैल 2003 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 92.62 करोड़ रुपये के पूर्व-कमीशनिंग व्यय के प्रति 61.85 करोड़ रुपये की पूर्व कमीशनिंग बिक्री को समायोजित किया और 30.77 करोड़ रुपये के शेष पूर्व कमीशनिंग व्यय को पूंजीकृत किया था। समस्त पूर्व-कमीशनिंग खर्चों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए और 61.85 करोड़ रुपये की पूर्व कमीशनिंग आय को निर्धारिती की आय के रूप में लिया गया और तदनुसार कर लगाया गया। चूंके परिणामस्वरूप 61.85 करोड़ रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 43.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

अस्वीकार्य
व्यय/दावों/
प्रावधानों
की गलत
अनुमति

3.12 पूँजीगत/ गैर-कारबार व्यय की गलत अनुमति और वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

3.12.1 प्रकृति में पूँजी व्यय न होने पर कारबार के प्रयोजन हेतु पूर्णतया या एकमात्र रूप से किया गया कोई व्यय "कारबार या वृत्ति के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमत है। यह न्यायक निर्णीत है कि:

(i) यदि अशोध्य ऋणों को पूँजीगत लेखा पर किसी भी अग्रिम के संबंध में लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट किया गया तो वे कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि हानि पूँजीगत हानि¹ है,

(ii) तकनीकी सहायता का प्रदान करना और फैक्टरी के गठन के लिए फीस और सहयोग करार के अनुसार उत्पादों की बिक्री का अधिकार 100 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है और 25 प्रतिशत पूँजीगत² व्यय के रूप में माना जाना है,

(iii) पुनः अधिकृत भाड़ा खरीद परिसम्पत्तियों पर हानि अनुज्ञेय कटौती नहीं है चूंकि यह मूल रूप से पूँजीगत³ हानि है, और

(iv) परित्यक्त परियोजना की लागत पूँजीगत व्यय है और कटौती⁴ के रूप में अनुज्ञेय नहीं है।

3.12.2 आय जो अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय का भाग नहीं बनती है के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गये व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी। यह न्याय निर्णीत⁵ है कि आनुपातिक प्रबंधन खर्चों की कटौती इस स्रोत से आय निकालने के लिए सकल लाभांश से की जानी चाहिए।

3.12.3 निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान (किसी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में न होने वाला व्यय) पर किसी व्यय की अनुमति ऐसे किये गये व्यय की डेढ़ गुणा के बराबर कटौती के रूप में की जानी चाहिए। कोई कटौती अनुमत नहीं की जायेगी जब तक निर्धारिती ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए एवं ऐसी सुविधा के लिए रखरखाव किये गये लेखाओं की लेखोपरीक्षा के लिए निर्धारित प्राधिकारी के साथ एक करार नहीं करता है।

3.12.4 निर्धारण अधिकारियों ने गलती से पूँजीगत व्यय, गैस-कारबार व्यय और वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 36 मामलों में कुल 108.05 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। 11 मामले जिसमें एक करोड़ रूपये अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 8 में क्रम संख्या 9 से 19 पर दर्शाया गया है। दो मामले जिसमें प्रत्येक में 10 करोड़ रूपये से अधिक के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त है को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

¹ हाशीमारा इन्डस्ट्रीज एवं अन्य बनाम आ क आ (231 आई टी आर 842) (एस सी)

² सदरन स्वीचारीयर लिमिटेड बनाम आ क आ एवं अन्य (232 आई टी आर 359) (एस सी)

³ मोटर एण्ड जनरल सेल्स (पी) लिमिटेड बनाम (आ क आ 9226 आई टी आर 137) (एस सी)

⁴ कनोरिया केमिकल्स एण्ड इन्स्ट्रीज बनाम आ क आ (78 टैक्समेन 455) (कलकत्ता एच सी)

⁵ आ क आ बनाम यूनाइटेड जनरल ट्रस्ट लिमिटेड (200 आई टी आर 488) (एस सी)

3.12.5 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी-॥ प्रभार में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए एक कम्पनी मैसर्स बैंक ऑफ इण्डिया का निर्धारण अवसंरचना परिदाय पर अर्जित 6.59 करोड़ रुपये के ब्याज, कर मुक्त बॉण्ड पर अर्जित 13.01 करोड़ रुपये के ब्याज और कर से छूट के रूप में 136.47 करोड़ रुपये के लाभांश की अनुमति देते हुए मार्च 2001 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। छूट प्राप्त आय के अर्जन के कारण खर्च अनुमति किये जाने अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने अवसंरचना बॉण्ड पर अर्जित ब्याज की वजह से खर्चों को अस्वीकार किया लेकिन कुल 79.72 करोड़ रुपये की लाभांश आय और कर मुक्त बॉण्ड पर ब्याज की वजह से खर्च अस्वीकार नहीं किये गये थे। चूक के परिणामस्वरूप 79.72 करोड़ रुपये की आय का अवधारण हुआ जिसमें 44.92 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

3.12.5.1 मंत्रालय ने यह बताते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया है कि कर मुक्त बॉण्ड पर ब्याज की वजह से कोई खर्च किया गया नहीं पाया गया चूंकि निर्धारिती के पास आरक्षित एवं बेशी में पर्याप्त निधि थी जिससे निर्धारिती ने कर मुक्त बॉण्डों में निवेश किया। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2004 में विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई आ क आ (अपील) द्वारा रद्द कर दी गई थी। उत्तर मान्य नहीं है चूंकि निर्धारण अधिकारी ने धारा 19 (23जी) के अन्तर्गत अवसंरचना परिदाय पर ब्याज अर्जित करने के लिए किये गये समान खर्चों को अस्वीकार किया लेकिन लेखापरीक्षा में बताये गये खर्चों को नहीं माना जिन्हें भी अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा आदेश को रद्द करते हुए अपीलीय ओदश धारा 14 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किये गये जो अप्रैल 2001 से पूर्व पूरे किये गये निर्धारण को पुनः खोलने के लिए निर्धारण अधिकारी को रोकता है और कोई लाभ अलाभ नहीं होता।

3.12.6 दिल्ली-। प्रभार में निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1999-2000 के लिए एक कम्पनी मैसर्स सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का निर्धारण कुल 170.74 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए मार्च 2002 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारणों को अपीली आदेशों को प्रभावी बनाते हुए 260.95 करोड़ रुपये की हानि पर जनवरी 2005 में संबंधित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की सकल कुल आय में भांडागार कार्यकलापों से हुई आय को शामिल किया गया जिसे कर से छूट के रूप में अनुमति थी। तथापि निर्धारिती को भांडागार भवन पर 35.23 करोड़ रुपये के मूल्यहास की अनुमति दी गई थी। चूंकि छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय अनुज्ञेय नहीं है इसलिए 35.23 करोड़ रुपये के मूल्यहास को जनवरी 2005 में अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते हुए अस्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप 35.23 करोड़ रुपये की हानि का गलत अग्रेन्यन हुआ जिसमें 14.87 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

3.13 प्रारंभिक खर्चों की गलत अनुमति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय

3.13.1 जहाँ कोई व्यय औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या एक नई औद्योगिक इकाई के गठन के लिए बीमाकार्य कमीशन, दलाली और ड्राफिंग प्रभारों की वजह से कम्पनी के शेयरों या ऋण-पत्रों के सार्वजनिक अंशदान के लिए जारी करने के संबंध में किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यय के दसवें भाग के बराबर की राशि की कटौती दस निरन्तर वर्षों के प्रत्येक के लिए अनुमत है। जहाँ व्यय एकीकरण या पुनः विलीन होने के प्रयोजन के लिए किया गया है वहाँ निर्धारिति शुरू होने वाले वर्ष से जिसमें एकीकरण या पुनः विलीन हुआ है से पांच निरन्तर वर्षों के लिए ऐसे व्यय के पाँचवे भाग के बराबर कटौती अनुमत की जायेगी।

3.13.2 जहाँ कोई व्यय कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय पर एक कर्मचारी को किसी राशि के भुगतानों के रूप में किसी पिछले वर्ष में किया जाता है वहाँ ऐसे भुगतान की की गई राशि के पाँचवे भाग की उस गत वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना में कटौती की जायेगी और शेष की चार तुरन्त आगामी वर्षों के प्रत्येक के लिए बराबर किश्तों में कटौती की जायेगी।

3.13.3 लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि निर्धारण अधिकारियों ने गलत प्रकार से उपर्युक्त लिखित खर्चों को अनुमत किया था जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, महाराष्ट्र तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में नौ मामलों में कुल 7.64 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें एक करोड़ से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था को परिशिष्ट 8 में क्रम संख्या 20 से 22 पर दिखाया गया है।

3.14 प्रावधानों/देयताओं/खर्चों की गलत अनुमति

3.14.1 उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में किया गया एक प्रावधान एक अनुज्ञेय कटौती है, जबकि अन्य प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत कटौती के लिए अर्हक नहीं होते हैं। यह न्याय निर्णीत* है कि कटौती योग्य होने के लिए हानि के लिए नियमानुसार यह वास्तव में उद्भूत और उपगत होना चाहिए और न केवल प्रत्याशित उपचित होने के कतिपय रूप में।

3.14.2 सेवानिवृत्ति पर या किसी कारण से रोजगार की समाप्ति पर उपदान के लिए किसी प्रावधान के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं की जायेगी जब तक यह किसी अनुमोदित निधि के प्रति अंशदान के रूप में या उपदान के भुगतान के लिए जो पूर्व वर्ष के दौरान देय हो गया है, के लिए न हो।

* आ क आ बनाम इण्डियन ओवरसीज बैंक 151 आ क आ 466 (मद्रास)

3.14.3 किसी ऋण या उसके भाग की राशि, जो पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं में अप्राप्य के रूप में बट्टे खाते डाली गई है, "कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों" शीर्ष के अन्तर्गत कर को प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुमेय है। बैंक, जहां अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया प्रावधान अनुमेय है, के मामले में कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी, जिस तक ऐसे ऋण या उसका भाग अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण लेखाओं के प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक होता है। अशोध्य ऋण या उसके भाग के लिए कोई कटौती अनुमत नहीं की जाएगी। जब तक निर्धारिती ने अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण लेखा के प्रावधान को पूर्व वर्ष में ऐसे ऋण या उसके भाग की राशि डेबिट न की गई हो। इसके अलावा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण में बहियों में किए गए अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं होगा। अशोध्य ऋण के बट्टे खाते के प्रति कोई कटौती अनुमत नहीं की जायगी जब तक ऐसे ऋण बैंकिंग कारबार या धन उधार देने, जो निर्धारिती द्वारा किया जाता है के दौरान सामान्य रूप से उधार न दिए गए हों। बैंक की विदेशी शाखाओं द्वारा जारी कर्जों के संबंध में अशोध्य ऋणों में भारतीय आय के प्रति कटौती अनुज्ञेय नहीं है।

3.14.4 उपकर, फीस या किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि आदि के लिए अशंदान के रूप में नियोक्ता के रूप में किसी निर्धारिती द्वारा देय कोई राशि या की गई सेवाओं के लिए बोनस अथवा कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को देय कोई राशि या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से किसी ऋण पर ब्याज के रूप में देय किसी राशि के प्रति कटौतियां वास्तविक भुगतान आधार पर अनुमेय हैं। तथापि उपर्युक्त निधियों को अंशदान के संबंध में कोई कटौती अनुमेय नहीं है जब तक ऐसी राशि निधियों को शासित करने वाली सुसंगत संविधि के अन्तर्गत यथा निर्दिष्ट निर्धारित देय तारीख से पूर्व वास्तव में अदा की गई है।

3.14.5 भारत में औद्योगिक अथवा कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में लगे वित्तीय निगम अध्याय VI ए के अन्तर्गत इस कटौती तथा ऐसी अन्य कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभों तथा अभिलाभों" शीर्ष के अन्तर्गत यथा संगणित दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ के 40 प्रतिशत से अनधिक की राशि तक विशेष आरक्षित लेखे को अपने लाभ में से उनके द्वारा हस्तान्तरित किसी राशि की विशेष कटौती के हकदार हैं। निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रदर्शित, खर्च किए गए या उठाए गए पूँजीगत प्रकृति के व्यय सहित कोई व्यय कटौती के रूप में अनुमत होगा।

3.14.6 जहाँ कटौती की अनुमति हानि के संबंध में किसी वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा वहन की गई व्यापार देयता के व्यय के लिए निर्धारण में की गई है और तदनन्तर उसकी देयता की माफी या सम्पत्ति के रूप में या तो नगद या अभिलाभ में प्राप्त हुई है तो वहां प्राप्त हुई, राशि लाभ मानी जाएगी और उस सुसंगत पूर्व वर्ष की आय के रूप में कर को प्रभार्य होगी।

3.14.7 एक निर्धारिती की वास्तविक ब्याज कर देयता उस निर्धारण वर्ष के लिए उसके कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से अनुज्ञेय है।

3.14.8 लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 71 मामलों में कुल 296.03 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम राजस्व प्रभाव वाले 15 मामले परिशिष्ट 8 में क्रम संख्या 23 से 37 पर दिखाये गये हैं। चार मामले जिसमें प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

3.14.9 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी-II प्रभार में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए एक कम्पनी मैसर्स बैंक ऑफ बड़ोदा का निर्धारण विदेशी शाखाओं पर आकस्मिकता में से बट्टे खाते डाले गये 78.02 करोड़ रुपये और विदेशी शाखाओं पर समान्य खाता आकस्मिकता में से बट्टे खाते डाले गये 11.80 करोड़ रुपये गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के प्रति 892.35 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए फरवरी 2001 में संवीक्षा से पता चला कि गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के कारण अनुमत 288.87 करोड़ रुपये की राशि शाखा कार्यालयों पर बट्टे खाते डाले गये वास्तविक अशोध्य ऋणों के कारण 39.80 करोड़ रुपये और मुख्यालय पर विवेकी बट्टे खाते डाले गये एवं विदेशी शाखाओं पर आंशिक बट्टे खाते डाले गये के कारण 249.08 करोड़ रुपये बनते हैं। 249.08 करोड़ रुपये की राशि को बैंक की बहियों में वास्तविक रूप से बट्टे खाते नहीं डाला गया था और इसके प्रति ऐसी कटौती को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विदेशी शाखाओं पर आकस्मिकता में से बट्टे खाते डाले गये 78.02 करोड़ रुपये और विदेशी शाखाओं पर सामान्य खाता आकस्मिकता में से बट्टे खाते डाली गई 11.80 करोड़ रुपये की कटौती को भी यह निदेश देते हुए निर्धारण वर्ष 1993-94 में उसी निर्धारिती के मामले में अपीलीय आदेशों के मद्देनजर अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था कि विदेशी शाखाओं के अशोध्य ऋणों की अवहेलना की जानी चाहिए चूंकि उन्हें भारत में आय के प्रति समंजित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कटौतियों के अस्वीकार करने में चूक के परिणामस्वरूप 338.89 करोड़ रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 189.19 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

3.14.10 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी - III प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक कम्पनी मैसर्स आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड का निर्धारण 1263.02 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए फरवरी 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारिती ने उस सीमा तक सृजित विशेष आरक्षित निधि के प्रति दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के कारबार की आय से 70 करोड़ रुपये की कटौती अनुमत की थी लेखापरीक्षा

संवीक्षा से पता चला कि आय की कतिपय श्रेणियाँ अर्थात् 112.18 करोड़ रुपये की लाभांश आय, 393.83 करोड़ रुपये के विशिष्ट प्रावधान के प्रतिलेखन के कारण क्रेडिट, 9.11 करोड़ रुपये के आय कर प्रतिदाय और पूँजीगत अभिलाभ पर ब्याज और 220 करोड़ रुपये की अन्य वित्त आय जिसे दीर्घावधि वित्त प्रदान करने वाले कारबार से व्युत्पन्न नहीं किया गया को कटौती की संगणना में भी हिसाब में लिया गया था। दीर्घावधि वित्त आय से आय की उपर्युक्त श्रेणियों को वर्जित करने में चूक के परिणामस्वरूप 70 करोड़ रुपये की कटौती की गलत अनुमति हुई जिसमें 27.69 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

3.14.11 दिल्ली V प्रभार में निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए कम्पनी मैसर्स पी एन बी गिल्टस लिमिटेड का निर्धारण 151.56 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए जनवरी 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने इस तर्क पर व्यापार आय में अन्त स्टॉक से "स्टॉक के बाजार मूल्य में कमी के लिए प्रावधान" के रूप में 36.85 करोड़ रुपये को कम किया था कि यह लागत अथवा बाजार कीमत जो भी कम थी पर अन्त स्टॉक के मूल्यांकन में आर बी आई दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा था। चूंकि हानि आनुमानिक थी और जो वास्तविक रूप से उद्भूत नहीं हुई थी इसलिए 36.85 करोड़ रुपये की राशि को निर्धारिति की कर योग्य आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था चूंकि आय की संगणना आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। कर योग्य आय की राशि को वापिस जोड़ने में चूक के परिणामस्वरूप, 13.54 करोड़ रुपये के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 36.85 करोड़ रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।

3.14.12 पश्चिम बंगाल, कोलकाता आ क आ IV प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स एस के जी कन्सोलिडेटेड लिमिटेड का निर्धारण "शून्य" आय का अवधारण करते हुए मार्च 2005 में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण आधार पर पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बिक्री कर से संबंधित 24.66 करोड़ रुपये का भुगतान सुसंगत पिछले वर्ष के अन्दर अथवा विवरणी के प्रस्तुत करने की नियत तारीख के अन्दर नहीं किया गया था। आय की राशि को वापिस जोड़ने में चूक के परिणामस्वरूप एक समान राशि तक अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 12.37 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

मूल्यहास
की गलत
छूट

3.14.13 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली हैं।

3.15 किसी निर्धारिति की कारबार आय संगणित करने में भवन, संयंत्र तथा मशीनरी, फर्नीचर, फिक्वर आदि की लागत या अवलेखित मूल्य पर मूल्यहास के कारण एक कटौती आयकर नियमावली 1962 में निर्धारित दरों पर अनुमेय है बशर्ते परिसम्पत्तियाँ निर्धारिति के स्वामित्व में हो और कारबार के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की गई हों। भूमि पर

मूल्यहास अनुमेय नहीं है। यह न्याय¹ निर्णीत¹ है कि कटौतियों का परिकलन करने से पूर्व मूल्यहास अनिवार्य रूप से प्रभारित किया जाना है।

3.15.1 मूल्यहास अमूर्त परिसम्पत्तियों पर भी अनुमत है जिसमें कॉपीराइट, पेटेन्ट्स, तकनीकी जानकारी, फ्रेन्चिज प्रभारों और किसी अन्य वाणिज्यिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। इसलिए अमूर्त परिसम्पत्तियों में सुनाम, स्टॉक विनिमय सदस्यता फीस बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार या शेयरों में निवेश को शामिल नहीं किया जा सकता। यह न्याय निर्णीत² है कि सुनाम पूँजीगत परिसम्पत्ति नहीं है।

3.15.2 जहाँ किसी निर्धारण वर्ष "कारबार या वृत्ति से लाभों तथा अभिलाभों" शीर्ष के अन्तर्गत शून्य या कम लाभ या अभिलाभ होने के कारण किसी मूल्यहास मोक का पूर्ण प्रभाव नहीं दिया जा सकता वहाँ ऐसा अनवशोषित मूल्यहास परवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए अग्रेनीत होगा और उस वर्ष/वर्षों के किसी कारबार या वृत्ति से लाभों तथा अभिलाभों के प्रति समायोजित होगा।

3.15.3 जहाँ परिसम्पत्तियों के ब्लाक के अन्दर आने वाली कोई परिसम्पत्ति पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है और उस पूर्व वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए कारबार या वृत्ति के प्रयोजन हेतु उपयोग की जाती है वहाँ मूल्यहास के कारण कटौती ऐसे ब्लाक में आने वाली परिसम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी।

3.15.4 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 33 मामलों में कुल 65.01 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था को परिशिष्ट 9 में क्रम संख्या 1 से 3 पर दिखाया गया है। एक मामला जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को नीचे सोदाहरण दिया गया है:

3.15.5 दिल्ली IV प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बीवरेजिज (पी) लिमिटेड का निर्धारण 435.28 करोड़ रुपये और 262.97 करोड़ रुपये की हानि का अवधारण करते हुए क्रमशः मार्च 2004 और मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने इसे एक अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में मानते हुए कुल 123.87 करोड़ रुपये के सुनाम पर मूल्यहास अनुमत किया। यह सही नहीं था चूंकि सुनाम एक अमूर्त परिसम्पत्ति नहीं है जिस पर मूल्यहास अनुमेय था। गलती के परिणामस्वरूप कुल

¹ आ क आ बनाम महिन्द्रा मिल्स (243 आई टी आर 56) (एस सी)

² बी श्रीनिवासा सेत्ती बनाम आ क आ (128 आई टी आर 294) (एस सी)

123.87 करोड़ रुपये के मूल्यहास की गलत छूट मिली जिसमें कुल 46.94 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

3.15.6 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

पूँजीगत
अभिलाभों
की गलत
संगणना

3.16 पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ "पूँजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होगा और वर्ष जिसमें अन्तरण हुआ में कर योग्य है। दीर्घावधि पूँजीगत परिसम्पत्ति के संबंध में पूँजीगत अभिलाभ की संगणना की विधि प्राप्त प्रतिफल से परिसम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत और उनके किसी सुधार की लागत तथा ऐसे अन्तरण के संबंध में पूर्णतया या एकान्तिक रूप से किए गए व्यय की कटौती का प्रावधान करती है।

3.16.1 जहाँ किसी परिसम्पत्ति के ब्लॉक जिस पर मूल्यहास की अनुमति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई है, के अन्दर आने वाली किसी पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए या उपचित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारम्भ होने पर परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अवलेखित मूल्य से अधिक हो जाता है तो आधिक्य अल्पकालिक परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभों के रूप में माना जायेगा।

3.16.2 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चार मामलों में कुल 19.50 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। 10 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है।

3.16.3 पश्चिम बंगाल, कोलकाता IV प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक कम्पनी मैसर्स आई सी आई इप्डिया लिमिटेड का निर्धारण 6.83 करोड़ रुपये की दीर्घावधि पूँजीगत हानि के समंजन की अनुमति देते हुए मार्च 2003 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अन्दर कतिपय मूल्यहास योग्य परिसम्पत्तियों को बेचा लेकिन बिक्री की निवल उगाही से प्रत्येक मद के लिए प्राप्ति की सूचकांक लागत के कम करने के कारण दीर्घावधि पूँजीगत हानि की गलत रूप से संगणना हुई। उपर्युक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के अनुसार, बिक्री उगाही को सुसंगत ब्लॉक में परिसम्पत्तियों के अवलेखित मूल्य द्वारा कम किया जाना अपेक्षित था। इस संबंध में निवल परिणाम 27.85 करोड़ रुपये का अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ होता। इस संबंध में चूक के परिणामस्वरूप एक समान राशि का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, चूंकि परिसम्पत्तियों के ब्लॉक से कतिपय मदों को उस मूल्य पर बेचा गया जो समस्त ब्लॉक के अवलेखित मूल्य से उच्चतर था इसलिए ब्लॉक के अन्दर शेष मदों पर कोई मूल्यहास स्वीकार्य नहीं था। तथापि, अनियमित मूल्यहास इसे 24.53 लाख रुपये अनुमत किया गया। गलतियों के परिणामस्वरूप 28.10 करोड़ रुपये का संचयी अवनिर्धारण और 6.83 करोड़ रुपये की

पूँजीगत हानि का अनियमित समंजन हुआ जिसके कारण ब्याज सहित 18.30 करोड़ रुपये के कर का अवप्रभार हुआ।

हानियों की गलत संगणना/ अग्रेनयन/ समंजन

3.17 जहाँ "कारबार या वृत्ति के लाभों तथा अभिलाभों" शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिति को हानि होता है और ऐसी हानि सुसंगत वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजित नहीं की जा सकती, इतनी ही हानि, जिसका समंजन नहीं किया गया है का अनुवर्ती निर्धारण वर्ष/वर्षों को उन वर्षों के कारबार या वृत्ति के लाभों एवं अभिलाभों के प्रति समंजन करने के लिए अग्रेनयन किया जायेगा।

3.17.1 कोई हानि निर्धारण वर्ष, जिसके लिए हानि सर्वप्रथम अवधारित की गई थी, के तत्काल अनुवर्ती आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अग्रेनीत नहीं होगी। इसके अलावा कोई हानि समंजन के लिए अग्रेनीत नहीं की जा सकती जब तक निर्धारिति देय तारीख के अन्दर या ऐसी अतिरिक्त अवधि, जिसे निर्धारण अधिकारी अनुमत करे, के अन्दर स्वेच्छा से हानि की विवरणी दाखिल करे। यदि निर्धारिति द्वारा दाखिल की गई विवरणी दोषपूर्ण है और निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अवधि के अन्दर दोष दूर नहीं किया जाता है तो विवरणी को एक अवैध विवरणी के रूप में माना जाएगा।

3.17.2 जहाँ एक औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कम्पनी का एक अन्य कम्पनी के साथ समामेलन हुआ है वहाँ संचित हानि पूर्व वर्ष, जिसमें समामेलन हुआ था, के लिए समामेलित कम्पनी की हानि होनी मानी जाएगी और अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार कतिपय शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे।

3.17.3 यू एस 64 की इकाई होने की वजह से पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत होने वाली किसी आय और जहाँ ऐसी परिसम्पत्ति का अन्तरण 1 अप्रैल 2002 को या उसके पश्चात् हुआ को कर से छूट प्राप्त होगी। यह न्याय निर्णीत¹ है कि यदि विशेष स्रोत से किसी आय को कर से छूट प्राप्त है तो ऐसे स्रोत से हानि को आय के उसी शीर्ष के अन्तर्गत दूसरे स्रोत से आय के प्रति संमजित किया जा सकता है। यह भी न्यायिक रूप से निर्णीत² है कि स्रोत से हानि जो करयोग्य नहीं है को अग्रेनीत नहीं किया जा सकता।

3.17.4 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार से लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 39 मामलों में कुल 422.48 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें एक करोड़ से अधिक लेकिन प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 10 में क्रम

¹ आ क आ बनाम एस एस थियाग्रेजन (129 आई टी आर 115) (मद्रास एच सी)

² आ क आ बनाम हरप्रसाद एण्ड कम्पनी (पी) लिमिटेड (99 आई टी और 118) (एस सी)

संख्या 1 से 3 पर दिखाया गया है। तीन मामले जिसमें प्रत्येक में 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे सोदाहरण दिया गया है:

3.17.5 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी II प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का निर्धारण 475.83 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। निर्धारिति को दूसरी कम्पनी मैसर्स रिलायन्स पैट्रोलियम लिमिटेड जो अप्रैल 2001 से निर्धारिति कम्पनी के साथ विलीन हो गई थी की अग्रानीत हानि के प्रति 1364.38 करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति दी गई थी। विलीन हुई कम्पनी की अग्रानीत हानियों की स्थिति जनवरी 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरे हुए निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए निर्धारण आदेश पर आधारित थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2004 में अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाते हुए विलीन हुई कम्पनी की करयोग्य आय पूर्व वर्षों की समस्त अग्रानीत हानियों का समंजन करने के पश्चात् "शून्य" पर पुनः अवधारित की गई थी। कोई हानि भविष्य के निर्धारणों में समंजन के लिए अग्रानीत नहीं की गई थी। तथ्य यह रह जाता है कि मैसर्स रिलायन्स पैट्रोलियम लिमिटेड की 1364.38 करोड़ रुपये की अग्रानीत हानि का जुलाई 2004 के संशोधित निर्धारण आदेश में पूर्ण रूप से समंजन किया गया था जिस पर मार्च 2005 में मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का निर्धारण करते हुए विचार नहीं किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप 376.17 करोड़ रुपये के कर के कम उद्ग्रहण सहित 1364.38 करोड़ रुपये की आय का अवनिर्धारण हुआ।

3.17.6 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी VII प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का निर्धारण पहले निर्धारण वर्षों की 945.18 करोड़ रुपये की संचित हानि के अग्रेनयन को शामिल करते हुए 1033.74 करोड़ रुपये की कुल हानि का अवधारण करते हुए अक्टूबर 2004 में सर्वोत्तम निर्णय के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए कुल हानि की संगणना करते समय निर्धारिति ने मात्र 51.05 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि के प्रति निर्धारण वर्ष 1997-98 से संबंधित 82.37 करोड़ रुपये की अग्रेनीत हानि अनुमत की थी। गलती के परिणामस्वरूप 31.32 करोड़ रुपये की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ जिसमें 11.18 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

3.17.7 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

3.17.8 दिल्ली V प्रभार में निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक कम्पनी मैसर्स ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स का निर्धारण 1194.99 करोड़ रुपये की आय का अवधारण करते हुए फरवरी 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति के पास यू एस-64 यूनिटों के अन्तरण से 53.52 करोड़ रुपये की दीर्घावधि पूँजीगत हानि थी। इसका समंजन निवेश के अन्तरण से उद्भूत होने वाली 12.77 करोड़ रुपये के दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभों के प्रति किया

गया था और 40.75 करोड़ रुपये की शेष हानि के भावी समंजन के लिए अग्रेनीत किये जाने की अनुमति दी